

## 1. क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन:-

एस्सार ऑयल लि० द्वारा टूण्डला-एटा रोड (एस.एच.-31) कि.मी. 32 से 33 के मध्य पटरी बाँधी पर स्थित ग्राम जिनावली के गाटा संख्या 131 खसरा संख्या 393स तहसील - जलेसर व जिला एटा में रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) का निर्माण प्रस्तावित है, जिसमें प्रभाग की 0.092 है० संरक्षित वन भूमि प्रभावित हो रही है। प्रभावित वन भूमि में कोई वृक्ष वाधक नहीं है। प्रस्ताव में प्रभावित 0.092 है० संरक्षित वन भूमि के बदले टूण्डला-एटा रोड (एस.एच.-31) कि.मी. 33.400 से 33.550 के मध्य बाँधी पटरी पर 100 वृक्षों का क्षतिपूरक वृक्षारोपण कराया जाना प्रस्तावित किया जा रहा है।

अग्रिम मृदा कार्य, व वृक्षारोपण कार्य, के उपरान्त आगामी नौ वर्षों तक वृक्षारोपण अनुरक्षण कार्य कराया जायेगा। वृक्षारोपण में शीशम, सेमल, कंजी, नीम, आदि प्रजातियों का रोपण कराया जायेगा। कराये जाने वाले अग्रिम मृदा कार्य, वृक्षारोपण व अनुरक्षण पर वर्षवार व्यय का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
अग्रिम मृदा कार्य	सर्वेक्षण, सफाई, पंक्ति बंधन, गड्ढा खुदान कार्य एवं मृदा सुधारक आदि।	100	गड्ढा	20.00	2000.00
वृक्षारोपण	पौध, ढुलान, रोपण निराई, सिंचाई एवं पौध की सुरक्षा का कार्य आदि।	100	पौध	35.00	3500.00
प्रथम वर्ष अनुरक्षण	निराई, गुड़ाई, सिंचाई एवं पौधों की सुरक्षा	100	पौध	12.00	1200.00
द्वितीय वर्ष अनुरक्षण	निराई, गुड़ाई, सिंचाई एवं पौधों की सुरक्षा	100	पौध	9.00	900.00
तृतीय वर्ष अनुरक्षण	निराई, गुड़ाई, सिंचाई एवं पौधों की सुरक्षा	100	पौध	5.00	500.00
चतुर्थ वर्ष अनुरक्षण	निराई, गुड़ाई, सिंचाई एवं पौधों की सुरक्षा	100	पौध	5.00	500.00
पंचम वर्ष अनुरक्षण	निराई, गुड़ाई, सिंचाई एवं पौधों की सुरक्षा	100	पौध	5.00	500.00
शष्ठम वर्ष अनुरक्षण	निराई, गुड़ाई, सिंचाई एवं पौधों की सुरक्षा	100	पौध	5.00	500.00
सप्तम वर्ष अनुरक्षण	निराई, गुड़ाई, सिंचाई एवं पौधों की सुरक्षा	100	पौध	4.00	400.00
अष्टम वर्ष अनुरक्षण	निराई, गुड़ाई, सिंचाई एवं पौधों की सुरक्षा	100	पौध	4.00	400.00
नवम वर्ष अनुरक्षण	निराई, गुड़ाई, सिंचाई एवं पौधों की सुरक्षा	100	पौध	4.00	400.00
	<b>कुल योग</b>	100	पौध	108.00	10800.00

(I) पौध क्रय - दर 70 रु० प्रति पौध 105 पौध = 7350.00

(II) पौधों की सुरक्षा हेतु तारवाड़ आदि कार्य = 54850.00

योग = 73000.00

नोट:- नोडल अधिकारी/मुख्य वन संरक्षक, उ०प्र०लखनऊ के पत्रांक- 1813/11 सी-क्षतिपूरक वनीकरण दि० 01.04.2015 द्वारा वर्ष 2015-16 के लिये प्रति पौध 108.00 रु० निर्धारित की गयी है। निर्धारित दर के अनुसार प्राक्कलन तैयार किया गया है।

  
क्षेत्रीय वन अधिकारी  
जलेसर-एटा

(एम. सेम्मरन)  
प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग  
एटा।